न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या- 83/2025

सरकार बनाम आशु उर्फ लंगड़ा।

<u>आरोप</u>

मै दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा (बुलन्दशहर) आप आशु पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूॅः-

1. यह कि दिनांक 14.08.2018 को समय रात्रि 10:00 बजे स्थान ग्राम रोहिन्दा में अन्तर्गत क्षेत्र थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर में आपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया हीरा पत्नी रिसाल के जीजा खान साहब के घर में शराब पीकर घुस आये और सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल्वा कारित करने हेतु विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया। इस प्रकार आपने **भा०दं०सं०** की **धारा 147** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

02. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया के जीजा खान साहब के पुत्र तौहीद के साथ मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। इस प्रकार आपने **भा०दं०सं०** की **धारा 323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

03. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान वादिया के जीजा खान साहब के 8 वर्षीय पुत्र तौहीद को आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट करने के आशय से उसके मान के अन्दर अनधिकृत रूप से घुसकर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने **भा०दं०सं०** की **धारा 452** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

04. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादिया के जीजा के पुत्र के साथ एवं उसके अन्य परिवारजनों को मारपीट कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल किया।(डॉक्टरी मुआयना के अनुसार तोहीद के सिर में गम्भीर चोंट आयी। इस प्रकार आपने **भा0 दं0 सं0** की **धारा 325** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

05. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादिया के जीजा के पुत्र से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मारपीट में आयी चोंटों के कारण तोहीद को कैलाश अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ से उसे रेफर कर दिया तथा दौरान इलाज तोहीद की वरूण ट्रामा सेन्टर रामघाट रोड अलीगढ़ में मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपने **भा०दं०सं०** की **धारा 304** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराद कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 01.11.2025

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 01.11.2025

Steno Mohd Afsan

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या- 83/2025

राज्य----------बनाम---------आशु उर्फ लंगड़ा।

अपराध संख्या: 215 सन् 2018

धारा : 147, 452, 323, 325, 304 भा०दं०सं०

थाना : अरनियां जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त आशु उपस्थित है।

मैने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्त पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा147, 452, 323, 325, 304 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त आशु पर जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 452, 323, 325, 304 भा०दं०सं० का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 17.11.2025 को पेश हो।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 01.11.2025

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.11.01 17:16:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court